

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू

जिले बनाम खोहरा

मुकदमा संख्या / वर्ष : 96 / 2022

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>नहीं किया है। क्रम: गुणावगुण पर विचार किए बिना यह पाप धारा 80 CPC के प्रावधानों से बाधित होने से करण खारिज किया जाना है। डिफ़ी पत्र जारी है। पत्रावली क्रम श्रुतार दोहर 44 नम्बर के हैं।</p> <p>(21) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	